न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चितौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2013 (रा.गु.नि.)
पंजीयन दिनांक 25.06.2013

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

श्री भगवानदास पिता नारायणदास सिंधी निवासी हाउसिंग बोर्ड, प्रतापनगर, थाना सदर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

–गैरसायल

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम,1975

उपस्थिति : 1– अभियोजन अधिकारी, राजकीय पैरोकार
2–श्री अकबर हुसैन, अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय

दिनांक 29.05.2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि गैरसायल हाउसिंग बोर्ड, प्रताप नगर, चित्तौड़गढ़ थाना सदर चित्तौड़गढ़, जिला चितौड़गढ़ का निवासी होकर उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृति का है। दिनों–दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढती ही जा रही है। यह जुआ सट्टा खेलने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से आम जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने का साहस ही नही करता है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब किया जाकर नोटिस सुनाया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री अकबर हुसैन द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल ने नोटिस सुन–समझ कर आरोप अस्वीकार किये एवं जवाब

प्रस्तुत कर ट्रायल चाही जिससे गैरसायल को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होने हेतु जमानत एवं मुचलके प्रस्तुत करने के आदेश दिये। गैरसायल द्वारा आदेश की पालना में मुचलका एवं जमानत पत्र प्रस्तुत किये जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अभियोजन अधिकारी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्य बंद की गई।

गैरसायल के अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करके प्रकरण में सीधे बहस किये जाने हेतु निवेदन करने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढती ही जा रही है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा खेलने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने का साहस ही नही करता है। गैरसायल के विरूद्ध वर्ष 2012 में 3 प्रकरण दर्ज हुए हैः-

1-प्रकरण संख्या 36/2012 13 आरपीजीओ एक्ट
2-प्रकरण संख्या 100/2012 13 आरपीजीओ एक्ट
3-प्रकरण संख्या 258/2012 13 आरपीजीओ एक्ट

गैरसायल को उक्त तीनों ही प्रकरणों में सजा हो चुकी है। गैरसायल के विरूद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर उसे गुण्डा घोषित करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः गैरसायल को गुण्डा घोषित करते हुए इस जिले से 6 माह की अवधि के लिए जिले से निष्काषित करने के आदेश फरमाये जावे।

गैरसायल के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही हुआ है। गैरसायल के विरूद्ध दर्ज उक्त प्रकरण 13 आरपीजीओ के होकर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वयं जुर्म स्वीकार किया। वर्ष 2012 के बाद उसके विरूद्ध किसी भी धारा के अपराधिक मामले दर्ज नही हुए है। गैरसायल गरीब व्यक्ति होकर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का बडी मेहनत से शान्तिपूर्वक भरण पोषण कर रहा है। मोहल्ले में कभी कोई शान्ति भंग नही की है, जिससे मोहल्ले में विपरीत प्रभाव पड़ता हो। वर्तमान में गैरसायल समाज में अच्छे आचरण के साथ ईमानदारी से जीवन व्यतीत कर रहा है। गैरसायल के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नही कराई है। गैरसायल के माता-पिता वृद्ध होकर उनकी सेवा करने वाला उसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नही है। अतः सहानुभूति का रूख अपनाते हुए प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनताा से अवलोकन किया। गैरसालय के विरूद्ध वर्ष 2012 में कुल 03 आर.पी.जी.ओ. एक्ट के प्रकरण दर्ज हुए हैं तीनों ही प्रकरण में गैरसायल को सजा हुई है। गैरसायल के विरूद्ध उक्त तीनों प्रकरण वर्ष 2012 तक दर्ज होकर तीनों ही प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। इसके बाद गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है तथा इसके बाद गैरसायल का जिले एवं उसके किसी भाग में धारा (2) के खण्ड (ब) के उपखण्ड 1 से 8 में वर्णित कार्य करने में रत होना एवं उनके दुष्प्रेरण में लगा हुआ होना भी नही पाया गया तथा अभियोजन अधिकारी ने भी इस्तगासे में वर्णित तथ्यों के संबंध में किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

अतः गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार के कृत्य नहीं करने की चेतावनी देते हुए, उसके वृद्ध माता-पिता एवं परिवार की परिस्थितियों को मध्यनजर रख, सहानुभूति रखते हुए प्रार्थी द्वारा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम,1975 धारा 3 के तहत गैरसायल को गुण्डा घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)